

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधित नियम, 2021 का नियम 5(2) - वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक कार्य योजना

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर बजट: रु. 293.82 लाख (अनुमानित)
(वित्तीय वर्ष 2023-24 का पीबीटी पिछले वर्ष के समान माना गया, क्योंकि अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।)

क्र. सं.	समय-सीमा	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत सम्मिलित मद संख्या
1	2	3	4	5
	अप्रैल 2024-मार्च 2025	एनएसआईसी, बोर्ड और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन जहाँ कहीं भी और जब भी आवश्यक हो, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत शामिल अनुमत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों को आरंभ करने का प्रस्ताव करता है। सीएसआर कार्यान्वयन डीपीई दिशानिर्देशों के तहत होगा, और एनएसआईसी क्षेत्र कार्यालय इन कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए समन्वय कार्यालय होंगे।	कंपनी स्थानीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, जहाँ वह कार्य कर रही है (एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 06/2018 दिनांक 28.05.2018)। कंपनी द्वारा देश के भीतर सीएसआर गतिविधियाँ आरंभ की जा सकती हैं, और यह नीति आयोग द्वारा अधिसूचित अनुसार, पिछड़े क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों पर जोर देने के साथ-साथ, सभी भौगोलिक स्थानों पर समान योगदान देने के लिए यथासंभव समन्वित प्रयास करेगी। (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के प्रावधान के अनुसार)।	सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार 2013 की अनुसूची-VII के मद संख्या (i) से (xii) के अंतर्गत शामिल की गई गतिविधियाँ।
6	निष्पादन का तरीका:		सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार	
7	निधियों के उपयोग की कार्य-पद्धति:		सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार	
8	कार्यान्वयन अनुसूची:		सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार	
9	निगरानी एवं रिपोर्टिंग :		सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार	
10	आवश्यकता और प्रभाविता मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो:		सीएसआर नीति के तहत निर्धारित तंत्र के अनुसार	

नोट:- (1) डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 10.12.2018 और डीओपीई द्वारा जारी ओएम एफ. क्रमांक. 8/2/2018-निदेशक (सीएसआर) दिनांक 15 मार्च 2024, के अनुसार एनएसआईसी के वार्षिक सीएसआर व्यय का 60% विषयगत कार्यक्रमों ("वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु स्वास्थ्य और पोषण") में खर्च किया जाएगा।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित सीएसआर गतिविधियाँ या तो मुख्य कार्यालय या एनएसआईसी शाखा कार्यालयों द्वारा जहाँ भी और जब भी आवश्यक हो, बोर्ड और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन कार्यान्वित की जाएंगी।